पत्र सूचना शाखा
(मुख्यमंत्री सूचना परिसर)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतना आवश्यक : मुख्यमंत्री

केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के प्रबन्धों के क्रियान्वयन में जन सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका

धर्माचार्यों एवं धर्मगुरुओं से कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की अपील

सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक गतिविधियों/कार्यक्रमों को 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित कर दें

हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, राज्य की सीमा पर सघन चेकिंग सुनिश्चित की जाए

स्कूलों तथा कॉलेजेज के प्रिंसिपल तथा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करें कि 02 अप्रैल तक प्रिंसिपल, शिक्षकगण एवं नॉन–टीचिंग स्टाफ भी विद्यालय नहीं आएंगे

मॉल्स को बन्द करने के निर्देश

लखनऊ, नोएडा एवं कानपुर शहर को सेनीटाइज करने के निर्देश

प्रदेश में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता

सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी न होने पाए

पुलिस को पूरे प्रदेश में व्यापक पेट्रोलिंग करने के निर्देश, लोग कहीं इकट्ठा न हों

तहसील दिवस, समाधान दिवस, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला तथा जनता दर्शन 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित

31 मार्च, 2020 तक सरकारी अस्पतालों में गैर–जरुरी ओ0पी0डी0 व जांच स्थगित, केवल आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाएंगी

लखनऊ : 20 मार्च, 2020

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रबन्धों के क्रियान्वयन

Scanned with CamScanner

में जन सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने सभी धर्माचार्यों एवं धर्मगुरुओं से कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए समाज में जागरूकता फैलाने की अपील की है। इस दिशा में विभिन्न धर्म गुरुओं द्वारा की पहल का उन्होंने स्वागत किया है।

मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश स्थित हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों तथा बस अड्डों सहित राज्य की सीमा पर सघन चेकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मॉल्स को बन्द करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मांगलिक गतिविधियों/कार्यक्रमों को 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित कर दिया जाए। वैवाहिक कार्यक्रमों में आमंत्रितों की संख्या को 10 तक सीमित रखने का प्रयास हो।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लखनऊ, नोएडा एवं कानपुर शहर को सेनीटाइज किया जाए। नगर विकास विभाग द्वारा शहरी इलाकों में नियमित फॉगिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। स्कूलों तथा कॉलेजों को पूरी तरह बन्द रखा जाए। स्कूलों तथा कॉलेजेज के प्रिंसिपल तथा प्रबन्धक यह सुनिश्चित करें कि 02 अप्रैल, 2020 तक प्रिंसिपल, शिक्षकगण एवं नॉन–टीचिंग स्टाफ भी विद्यालय नहीं आएंगे।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में खाद्यान्न सहित रोजमर्रा के इस्तेमाल की सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता है। सभी जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी अथवा कालाबाजारी न होने पाए। ऐसा करने वालों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही की जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि खरीददारी के दौरान लाइनें न लगे। कोरोना से बचाव के लिए ग्लव्स तथा मास्क का इस्तेमाल किया जाए।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि निजी क्षेत्र के संस्थानों एवं नियोक्ताओं को इस हेतु प्रेरित किया जाए कि जहां तक सम्भव हो कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति दी जाए। इस व्यवस्था को सरकारी विभागों एवं संस्थानों में भी आवश्यकतानुसार लागू कराया जाए। तहसील दिवस, समाधान दिवस, मुख्यमंत्री आरोग्य मेला तथा जनता दर्शन का आयोजन 02 अप्रैल, 2020 तक स्थगित रहेगा। उन्होंने पुलिस को पूरे प्रदेश में व्यापक पेट्रोलिंग करने के निर्देश देते हुए कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी स्थल पर लोग इकट्ठा न हो।

मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देश दिये है कि सरकारी अस्पतालों में केवल आकस्मिक सेवाएं प्रदान की जाए। 31 मार्च, 2020 तक गैर–जरुरी ओ0पी0डी0 व जांच को स्थगित रखा जाए, जिससे अस्पतालों में अनावश्यक भीड़ न हो।

————————

PN-CM-Corona Control Directives-20 March, 2020

Scanned with CamScanner

कोरोना वायरस से न घबराएँ, खुद बचें और सबको बचाएं

आओ 4 बात करें

1 कोरोना वायरस एक फ्लू जैसी बीमारी है, जिसके लक्षण हैं :

2 बचाव के सरल उपाय

क्या करें

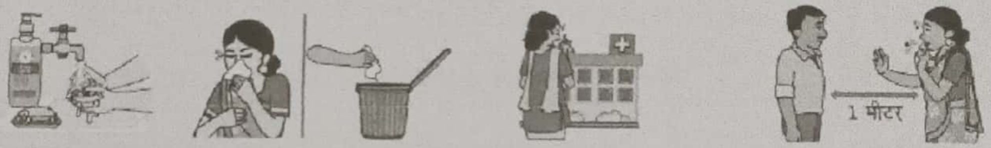

- हाथों को बार–बार साबुन एवं साफ पानी से अच्छी तरह धोएं।
- खाँसते और छींकते समय अपना नाक और मुँह को टिशू या रूमाल से ढकें। इस्तेमाल किए टिशू को कूड़ेदान में ही फेंकें।
- अगर जुखाम, खाँसी या बुखार के लक्षण हों, या साँस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत निकटतम स्वास्थ्य केंद्र जाएं।
- जुखाम, खाँसी या बुखार होने पर और लक्षण समाप्त होने तक घर पर ही आराम करें। अन्य लोगों से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाए रखें।

क्या न करें

- सार्वजनिक एवं खुले स्थानों पर न थूकें।
- बेवज़ह अपनी आँखें, नाक या मुँह न छूएं। छूने के बाद हमेशा हाथों को अच्छी तरह साबुन और पानी से धोएं।
- जुखाम, खाँसी या बुखार के होने पर, लक्षण समाप्त होने तक सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं और लोगों से निकट संपर्क न करें।

3 शिक्षक और छात्रों की भूमिका

- विद्यालयों में प्रार्थना के समय संदेशों का प्रसार।
- मध्याहन भोजन (मिड–डे–मिल) से पहले प्रतिदिन 15 मिनट कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु साबुन एवं साफ पानी से हाथ धोने की गतिविधि का प्रदर्शन करें।
- प्रत्येक विद्यार्थी की डायरी में ऊपर दिए गए बचाव के सरल उपाय लिखित रूप से दें। विद्यार्थियों को इन उपायों के बारे में घर पर अपने माता पिता और सदस्यों से चर्चा करने के लिए कहें।

4 हम सब ध्यान दें

- अगर किसी में लक्षण दिखाई देते है तो सरकारी अस्पताल में तत्काल उपचार लेने और झोलाछाप चिकित्सकों से बचने की सलाह दें।
- जिम्मेदार बनें, सोशल मीडिया में अवैज्ञानिक/अप्रामाणिक संदेशों को न तो फैलाएं और अन्य लोगों को भी मना करें।
- केवल प्रामाणिक स्रोतों के संदेशों पर भरोसा करें जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और डब्ल्यूएचओ।

संदेह होने पर स्वास्थ्य विभाग के टोल फ्री नंबर पर कॉल करें

1800-180-5145

अधिक जानकारी एवं संदेश यहां से प्राप्त करें:
www.mohfw.gov.in, http://ncdc.gov.in/
तकनीकि सहयोग : संचारी रोग इकाई, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

FLYER Hindi Prepress
06 March 2020 07:22:33 PM

Scanned with CamScanner

अत्यन्त महत्वपूर्ण
संख्या–538 / पाँच–5–2020

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 लखनऊ दिनांक 13 मार्च, 2020

विषय–कोरोना वायरस से बचाव, रोकथाम एवं उपचार हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

आप अवगत है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है। वर्तमान समय में प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से होने वाली बीमारी कोविड–19 के 11 पुष्ट प्रकरण सामने आये है, जिनका उपचार किया जा रहा है। प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये मुझे आप से निम्नवत कहने का निदेश हुआ है:–

1. जनता के बीच में इस बात का व्यापक प्रचार–प्रशार करने की आवश्यकता है, कि इस बीमारी से घबराने की आवश्यकता नही वरन सावधानी बरतने की जरूरत है। इस बीमारी का फैलाव संक्रमित व्यक्ति के द्वारा खॉसने और छींकने पर मुँह एवं नाक से निकलने वाले 'ड्रापलेट्स' के माध्यम से होता है। अतः लोगो को छींकते–खॉसते समय रूमाल अथवा टिशू पेपर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाये। साथ ही साथ साबुन एवं पानी से हाथ साफ करते रहने, का सुझाव भी दिया जाये, जिससे कि संक्रमण को रोका जा सके।
2. जनपदों में कोरोना वायरस का एक कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जाये तथा इसके फोन नम्बर का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये। इसके अतिरिक्त राज्य मुख्यालय के फोन नम्बर–0522–2230006, 2230009, 2616482, 26110066, 1800–180–5145 तथा भारत सरकार के हेल्पलाईन नम्बर–91–11–23978046 का भी व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाये।
3. जिला अस्पताल में संक्रमित व्यक्तियों को आइसोलेशन मे रखने हेतु वार्ड की व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के अधिकांश चिकित्सा महाविद्यालयों मे भी ऐसे वार्ड की व्यवस्था की गयी है। इसका स्वयं निरीक्षण कर आश्वस्त हो लें कि इस संबंध में उपयुक्त व्यवस्था आपके जनपद में उपलब्ध हैं।
4. यह सुनिश्चित करे कि जनपद के चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य संबंध कर्मियों को बचाव, रोकथाम तथा उपचार के संबंध में समुचित प्रशिक्षण उपलब्ध करा दिया जाये।

–2–

Scanned with CamScanner

5. लोगों को भीड़-भाड़ वाले जगहों में जाने से रोकने के लिये सलाह दिया जाये तथा बहुत ज्यादा भीड़ वाले आयोजनों को यथा सम्भव हतोत्साहित किया जायें।
6. लोगों के मध्य इस बात का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायें कि मास्क की आवश्यकता केवल संक्रमित व्यक्तियों तथा इनकी चिकित्सा करने वाले चिकित्साकर्मियों को ही है। सामान्य स्वस्थ व्यक्तियों को मास्क लगाने की आवश्यकता नहीं है।
7. संक्रमित व्यक्तियों के छींकने एवं खाँसने से विषाणु सतह पर गिरते है और वहाँ पर काफी समय तक कियाशील रहते है। इसलिए यह आवश्यक है कि नगर निकाय एवं पंचायतीराज संस्थायें सार्वजनिक स्थानों की अच्छी साफ-सफाई करें तथा इसके लिये एक प्रतिशत हाईपोक्लोराइड सलूशन का अथवा अन्य डिसइन्फेक्टेन्ट का प्रयोग किया जायें।
8. प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा के शिक्षण संस्थानों के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों में दिनॉक-22 मार्च, 2020 तक के लिए अवकाश घोषित किया गया है, जिसका आदेश संबंधित विभागों के द्वारा पृथक-पृथक भी जारी किए जायेगा। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रविधिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा आदि की परीक्षाएँ यथावत चलती रहेंगी। केवल बेसिक शिक्षा विभाग की परीक्षायें 22 मार्च, 2020 के पश्चात् कराई जायेंगी। यह उपयुक्त होगा कि परीक्षा के पहले शिक्षण संस्थानों के द्वारा परीक्षा वाले कक्षों की अच्छी साफ-सफाई की जाए तथा कुर्सी और मेज को भी डिसइन्फेक्ट किया जाए ताकि यह बीमारी फैलने न पाए।
9. प्रदेश में कोरोना वायरस के विषाणु की जॉच के लिए तीन संस्थानों को भारत सरकार के द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है, जो कमशः के0जी0एम0यू0, लखनऊ, बी0एच0यू0 मेडिकल कालेज, वाराणसी एवं जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कालेज, अलीगढ़ है। किसी व्यक्ति में संक्रमण के लक्षण दिखायी पड़ने पर सैम्पल को सुविधानुसार इन तीन में से किसी एक संस्थान को प्रेषित किया जाए। कुछ अन्य संस्थानों को भी इस हेतु तैयार करने की कार्यवाही की जा रही है।
10. चीन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया तथा ईरान इन सात देशों की यात्रा दिनॉक-15 फरवरी, 2020 के बाद करने वाले व्यक्तियों पर विशेष ध्यान रखा जाए तथा भारत सरकार के द्वारा दिए गए गाइड लाइन द्वारा उनके कोरेंटाइन के संबंध में कार्यवाही की जाए।
11. इस संकामक बीमारी से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों का सहयोग लिया जाए जिसमें केन्द्र सरकार के विभाग यथा-रेलवे, सेना, केन्द्रीय श्रम विभाग के अस्पताल आदि, निजी क्षेत्र के चिकित्सकों, आई0एम0ए0 इत्यादि का भी सहयोग लिया जाए।
12. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत किए गए शासनादेश संख्या-503/पॉच-5-2020 दिनॉक-04.03.2020 में मण्डल स्तरीय एवं जनपद स्तरीय आउट ब्रेक रेसपांस कमेटी के गठन के निर्देश दिए गए हैं। उसकी नियमित बैठके की जाए एवं आश्यकतानुसार शीघ्रतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

-3-

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

13. वर्तमान में इस बीमारी की कोई वैक्सीन अथवा कोई दवा उपलब्ध नहीं है। अतः सावधानी बरत कर इससे बचाव ही सबसे उपयुक्त सिद्ध होगा। इस हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार एवं जन–जागरूकता की आवश्यकता है। इसके निमित्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा विभाग, पंचायतीराज विभाग, नगर विकास विभाग, परिवहन विभाग एवं सूचना विभाग के द्वारा जागरूकता फैलाने हेतु पोस्टरों को छपवा कर विभिन्न सार्वजनिक स्थल यथा–चिकित्सालय, बस स्टैण्ड, शिक्षण संस्थानों, पंचायत घर, कलेक्ट्रेट, तहसीलों, विकास खण्ड, नगर निकायों, रेलवे स्टेशनों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर इसके पोस्टर लगाएँ जाएँ।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

भवदीय, 13.03.2020

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या–538(1)/पॉच–5–2020 तद्दिनॉक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, नगर विकास, राजस्व, गृह, चिकित्सा शिक्षा, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा, आयूष विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0।
5. निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0।
7. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उ0प्र0।
8. गार्ड फाइल

आज्ञा से,
13.3.20

(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव

Scanned with CamScanner

शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या:– 806 /सत्तर–3–2020

प्रेषक,

मोनिका एस गर्ग,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, प्रयागराज

2. कुल सचिव
समस्त राज्य विश्वविद्यालय
उत्तर प्रदेश।

3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक 12 मार्च, 2020

विषयः– राज्य विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों हेतु करोना वाइरस(COVID-19) से बचाव हेतु परामर्श/एडवाइजरी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नोवेल करोना वाइरस (COVID-19) के बढते प्रकोप एवं प्रसार के दृष्टिगत सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशा0 पत्र सं0–1–14/2020, दिनांक 05.03.2020(छायाप्रति संलग्नको सहित) के द्वारा नोवेल करोना वाइरस (COVID-19) की एडवाइजरी जारी की गयी है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों एवं सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त पत्र दिनांक 05.03.2020 द्वारा करोना वाइरस (COVID-19) से बचाव के सम्बन्ध में जारी एडवाइजरी का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

3– इसके अतिरिक्त पत्र के साथ संलग्नक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी जागरूकता सामग्री को अपने संस्थानो में सहजदृश्य स्थानों में व्यापक छात्र हित में प्रसारित करायें।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीया,
12/3
(मोनिका एस गर्ग)
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

आन-विज्ञान विमुक्तये
प्रो. रजनीश जैन
सचिव
Prof. Rajnish Jain
Secretary

सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)
बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Ph.: 011-23236288/23239337
Fax: 011-2323 8858
E-mail: secy.ugc@nic.in

5th March, 2020

D.O. No.F.No.1-14/2020 (Website)

Dear Madam/Sir,

This is in reference to communications received from Secretary, Department of Health and Family Welfare and Joint Secretary (HE), MHRD regarding taking preventive measures to combat the threat of the Novel Coronavirus (COVID-19), as some cases of the virus have been reported in the country. Towards this, a coordinated and collective effort in a mission mode is needed, therefore all universities and their affiliated colleges are requested to take necessary precautions and follow the advisory given below to help in prevention /reduction of the transmission of the virus.

Advisory for Universities and Colleges – Novel Coronavirus (COVID19)

Universities and Colleges are advised to:

- Avoid large gatherings on campus.
- Any student/ staff with travel history to any COVID-19 affected country or in contact with such persons in last 28 days, should be monitored and home quarantined for 14 days.
- Faculty should be alert towards any student with signs and symptoms i.e. fever, cough and difficulty in breathing, and should immediately have the student tested.
- Till advised by the treating doctor the student should not join campus.
- Faculty staff and students should also be advised about simple public health measures of hand and respiratory hygiene.

  Hand hygiene: Wash hands frequently and thoroughly with soap & water or use alcohol based hand sanitizer, even when hands are visibly clean.

  Respiratory hygiene:

  1. Everyone should cover their mouth with a tissue/handkerchief (or their sleeve if there are no tissues available) when they cough or sneeze and wash their hands afterwards.
  2. Do not touch your eyes, nose and mouth.
  3. Everyone should throw away used tissues in a bin and wash their hands after contact with coughing/sneezing.
- Frequently touched surfaces – door knobs, switches, desk tops, hand railings etc, should be disinfected.
- Provide alcohol based hand cleaners/sanitizers in frequented spots of the universities/colleges.
- Ensure availability of soap and water in rest rooms at all times.
- Foot operated pedal bins lined with plastic bag should be provided in each classroom & rest room.
- In hostels, health status of students as well as the other ancillary staff should be monitored on regular basis. In case, there are suspected cases, the authorized local medical authority should be called for examination.
- Anybody with signs & symptoms (cough, fever or difficulty in breathing) should call State/UT helpline number or Ministry of Health & Family Welfare's 24X7 helpline at 011 2397846 or visit public health facility with a mask or mouth covered

An information pamphlet received from the Ministry of Health & Family Welfare to sensitize the students is enclosed.

With regards,

Yours sincerely,

(Rajnish Jain)

Encl: As above

The Vice-Chancellors of all Universities

Scanned with CamScanner

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

Reduce the risk of Coronavirus infection

Follow these important precautions

1. Avoid travel if you are suffering from fever and cough

2. Wash your hands frequently with soap and water

3. Share your travel history with your health worker (ASHA/ ANM)

Stay protected! **Stay safe from Coronavirus!**

If you have cough, fever or difficulty in breathing, contact a doctor immediately

24X7 +91-11-23978046

or email at ncov2019@gmail.com

Scanned with CamScanner

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

Reduce the risk of Coronavirus infection

Follow these important precautions

Wash hands with soap and water frequently

When coughing and sneezing, cover mouth and nose with handkerchief, tissue or elbow

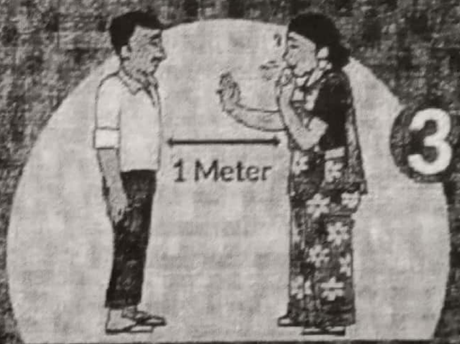

Avoid close contact with anyone with cold, cough or flu like symptoms

If you have cough, fever or difficulty in breathing, contact a doctor immediately

Stay protected! **Stay safe from Coronavirus!**

24X7 +91-11-23978046

or email at ncov2019@gmail.com

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-4

संख्या-303/सामान्य-का-4 -2020

लखनऊ दिनांक 20 मार्च, 2020

कार्यालय ज्ञाप

विषय:- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस नये (कोविड-19) के प्रसार को रोकने के लिये अपनाये जाने वाले निवारक उपाय:-

उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रसार को रोकने के लिए राज्य सरकार के स्तर से आदेश संख्या- 581/पांच-5-2020 दिनांक 17-03-2020 द्वारा विस्त्रत दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं। इसी क्रम में सरकारी कार्यालयों के लिये निम्नवत दिशा निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं-

1- सभी विभागाध्यक्ष इस प्रकार की व्यवस्था करेगें कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में समूह ख, ग तथा घ के 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा शेष 50 प्रतिशत घर से ही कार्य निष्पादित करें। इसके लिये विभागाध्यक्षों के स्तर से रोस्टर तय किया जायेगा। विभागाध्यक्षों को सुझाव दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत समूह ख, ग तथा घ के कर्मचारियों का साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मी अलटरनेट सप्ताह में कार्यालय आयें परन्तु इससे शासकीय कार्य में, विशेष रूप से बजट के कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो। प्रथम सप्ताह में कार्यालय आने वाले कर्मियों का चिन्हीकरण करते समय घर से दूरी एवं कार्यालय आने में उपयोग किये जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जायेगा।

2- कार्यालय आने वाले कार्मिकों के लिये भी समय का आवंटन तीन पालियों में निम्नानुसार किया जाय:-

क- प्रातः 9:00 बजे से सांय 5:00 बजे तक

ख- प्रातः 10:00 बजे से सांय 6:00 बजे तक

ग- प्रातः 11:00 बजे से सांय 7:00 बजे तक

Scanned with CamScanner

3- रोस्टर के अनुसार घर से कार्य संपादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के संपर्क में रहेगें उन्हें आवश्यकता पडने पर कार्यालय बुलाया जा सकेगा।

4- अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की जाय।

5- यह दिशा निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नही होगें जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुडे हैं जो कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका अदा कर रहे हैं।

6- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें और 4 अप्रैल, 2020 तक लागू रहेगें। इन निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

20.03.2020

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव।

संख्या- 303(1)सा0 - का-4 -2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

3- निदेशक सूचना विभाग उ0 प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,

(मुकुल सिंहल)
अपर मुख्य सचिव।

Scanned with CamScanner